

प्रकरण संख्या 16/2017

मोहन मीणा बनाम नाथू मील मि. नादायन मील  
पि. केसरा मीणा पि. साईपीपला  
पि. नाथू

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक— /

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मोहन मीणा मि. नाथू ने जरिये अभियन्ता श्री मोहन प्रकाश पालीवाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, गैरखाते की भूमि ग्राम साईपीपला प0ह0 माण्डला तह0 माण्डलगढ में आकार

24/2

किता 1 रकबा 5 बीघा विस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिकारी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्बन्ध के अवलोकन से प्रार्थी विवाद आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने वाले शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जा ग्राम साईपीपला की आराजी न0 24/2

रकबा 5 बीघा विस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किता के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जा कमीशनर फीस 250 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ जि-भीलवाडा